अपील सूचना अधिकार संख्या 57 ए/2017 अनवाना संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न0 10, नया रामनाथ कुटिया के पीछे सूरतगढ बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं समन्वयक , श्रीगंगानगर

Web Copy Not Official

29-09-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री संजय छाबड़ा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री संजय छाबड़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.05.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः-

1. राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक :प.6( )शिकायत/समआ/2017/1384 दिनांक 02.05.2017 से जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर (राज.) को संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन जी निवासी वार्ड नं. 10 नया रामनाथ कुटिया के पीछे सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर से प्राप्त शिकायत के क्रम में विषयान्तर्गत त्वरित आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया था, उक्त पत्र के सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा निर्धारित अवधि में की गई समस्त कार्यवाहियो की समस्त प्रतियां व प्रार्थी के बयानो एवं प्रार्थी को अवगत करवाये गये समस्त कार्यवाहियो की समस्त प्रतियां व प्रार्थी के बयानों एवं प्रार्थी को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां।
2. कार्यालय श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र बीकानेर में संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड नं. 10, सूरतगड द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.05.2017 विषय-अपील सं. 32/2017विनिश्चय दिनांक 23.03.2017 की प्रत्यर्थी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की समस्त प्रतियां एवं इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां।
3. कार्यालय श्रीमान् प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, क्षेत्र बीकानेर में संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न. 10, सूरतगढ द्वारा रजिस्टर्ड पत्र से प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 05.05.2017, विषय-आवेदन-पत्र दिनांक 03.02.2017 के सम्बन्ध में श्रीमान प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में निस्तारित किये गये निर्णय की प्रति एव सम्बन्धित प्रतियां एवं इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां।
4. संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न0 10 सूरतगढ द्वारा पेयजल की कालाबाजारी करवाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बाबत विषयान्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र की प्रति एवं प्रार्थी के बयानों की प्रतियां।
5. कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को विषय- श्रीमति कृष्णादेवी पत्नी स्व0 श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न. 10 रामनाथ की कुटिया के पीछे, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गयी फाईल में आज दिनांक तक की गई समस्त कार्यवाहियों की समस्त प्रतियां एव प्रार्थीया को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां।
6. कार्यालय नगरपालिका, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर विषय-मुख्य रोडवेज बस स्टेण्ड व प्राईवेट बस स्टेण्ड में निर्मित शौचालयो व सैनेटरी की साफ-सफाई एव क्षतिग्रस्त सैनेटरी बदलने बाबत, संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न0 10 सूरतगढ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2017 के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में की गई समस्त कार्यवाहियो की समस्त प्रतिया एवं प्रार्थी को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां।
7. संजय छाबडा पुत्र श्री इन्द्र मोहन निवासी वार्ड न0 10 सूरतगढ द्वारा रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2017 नाबालिग बालिकाओ को भिक्षावृति से मुक्त करवाने व उन्हे शिक्षा से जोडने के सम्बन्ध में विषयान्तर्गत सम्बन्ध मे राजस्थान बाल संरक्षण आयोग, जयपुर राज. द्वारा निर्धारित अवधि में की गई कार्यवाहियों की समस्त प्रतियां एवं प्रार्थी को अवगत करवाये गये समस्त पत्राचार की प्रतियां
8. श्री मेडिकोज नाम से त्रिमूर्ति मन्दिर के पास, मेन रोड, सूरतगढ में वर्तमान में संचालित मैडिकल स्टोर की बाबत कार्यालय सहायक औषधि नियंत्रक, ओषधि विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये लाईसैंस की चित्र प्रति एवं उक्त लाईसैंस प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं इसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की समस्त चित्र प्रतियां।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.05.17 के द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र दि0 02.06.17 के द्वारा वापिस लौटा दिया गया है जो उचित नही है। लोक सूचना अधिकारी से समस्त बिन्दुओ की बिन्दुवार पृथक पृथक विवरण सहित निशुल्क दिलवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 25,000रूपये प्रतिकर के रूप में उसे दिलवाये जावे एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1885 दिनांक 14.09.17 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:—

यह है कि इस कार्यालय के पत्र कमांक 10186 दिनांक 02.06.2017 द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया कि राजस्थान महिला आयोग जयपुर का पत्रांक 1384 दिनांक 02.05.2017 रिसिप्ट शाखा की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यालय में आना नही पाया गया । पूर्ण विवरण व पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए पृथक—पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

यह कि आवेदक द्वारा इस लोक प्राधिकरण से चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्र राजस्थान महिला आयोग से आना नही पाया जाता। रिसीट लिपीक की रिपोर्ट परिशिष्ट—क है।

यह कि इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ट राजस्थान जयपुर के परिपत्र के अनुसार आवेदन में चाही गई सूचना जो उस लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित है आवेदक को भिजवा दी जावे किन्तु उसका शेष भाग एक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित है अतः आवेदक उन्हे पृथक—पृथक आवेदन भिजवाये। परिशिष्ट—ख

यह है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मे दर्ज किया गया है कि राजस्थान महिला आयोग जयपुर से उक्त पत्र 1384 दिनांक 02.05.2017 के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाकर उसके सम्बन्ध में जांच की जाकर सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। जो कतई उचित नही है।

यह कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं0 एक इस लोक प्राधिकरण में संधारित नही है अतः अपील खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। शाखा प्रभारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1018 दिनांक 02.06.17 के अनुसार आवेदक को यह सूचित किया गया है कि राज0 महिला आयोग का पत्र सं0 1384 दिनांक 02.05.17 रिसिप्ट शाखा के अनुसार इस कार्यालय में आना नही पाया जाता है इसलिए उक्त पत्र दिनांक 02.05.17 का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें और शेष सूचनाओं का संबंध विभिन्न विभागो से है इसलिए संबंधित विभाग को अलग—2 प्रार्थना पत्र पेश करें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ में बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से था उक्त सूचना राज्य महिला आयोग के पत्र दिनांक 02.05.17 से संबंधित थी जो उक्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला कार्यालय में आना नही पाया जाता। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 1 के संबंध में अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष बिन्दुओ की सूचना का संबंध विभिन्न विभागो से है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ राज0 जयपुर के परिपत्र के अनुसार विभिन्न विभागो से सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग को पृथक पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए मूल प्रार्थना पत्र वापिस लौटाया गया है जो प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ राज0 जयपुर के परिपत्र के अनुसार सही रूप से वापिस लौटाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर